रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2014/कार्तिक 27, 1936
No. 603] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2014/KARTIKA 27, 1936

IndiaCode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 816(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 में,-

(1) नियम 2 में, -

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"(कक) ' नीलामी' से मसाला बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए और अनुमोदित मंच के माध्यम से इलायची की बिक्री का संचालन करने की प्रणाली अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मैन्युअल नीलामी, ई-नीलामी और ऑनलाइन नीलामी है ;"

(ख) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.) 'व्यक्ति' से कोई व्यष्टि या कोई फर्म, कंपनी, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहु राज्य सहकारी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पूर्त सोसाइटी अभिप्रेत है;" ;

(2) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. इलायची का कारबार करने के लिए व्यक्तियों का अनुज्ञप्तिकरण- (1) किसी वर्ष में नीलामकर्ता या व्यवहारी के रूप में कारबार करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति प्ररूप क (नीलामकर्ता) या क 1 (व्यवहारी) में अनुज्ञप्ति के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा:

परंतु एक से अधिक क्षमताओं में अनुज्ञप्ति की वांछा रखने वाले व्यक्ति के लिए पृथक् आवेदन आवश्यक होंगे :

परंतु यह और कि किसी नीलामकर्ता के लिए प्रत्येक केन्द्र में मैन्युअल नीलाम की बाबत पृथक् अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी यदि वह एक से अधिक केन्द्र में नीलामियां संचालित करने की वांछा रखता है ।

(2) नीलामकर्ता या व्यवहारी के रूप में प्रत्येक आवेदन के साथ 1 सितंबर, 2014 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की खंड अवधि या उसके भाग के लिए उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट फीस की रसीद संलग्न होगी । 1 सितंबर, 2017 से पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए नई अनुज्ञप्ति और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती खंड अवधि के लिए लागू फीस मे अधिक 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी । अनुज्ञप्ति फीस को, जहां लागू हो, सौ रुपए के नजदीकतम भाग तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा । फीस सचिव, मसाला बोर्ड के पक्ष में बैंक अंतरण या रेखांकित खाता संदेय मांग पत्र के रूप में अर्नेकुलम या कोच्ची में संदेय होगी ।

(3) बोर्ड, यदि उसका यथा लागू उप नियम (4) और उप नियम (5) के अनुसार आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो यथास्थिति प्ररूप –ख, प्ररूप-ख 1 या प्ररूप –ख 3 में अनुज्ञप्ति जारी करेगा ।

(4) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक के पास पूलित इलायची के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण या गोदाम या संग्रहण डिपों की सुविधा और इलायची की सफाई और ग्रेडिंग के लिए सुविधा होगी ।

(5) व्यवहारी अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक के पास इलायची के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण या गोदाम की सुविधाएं होंगी।

(6) नई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे दिए अनुसार फीस संलग्न होगी:-

(क) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस-

(i) मैन्युअल नीलामी- 5,000/-रुपए;

(ii) ई-नीलामी- 5,000/-रुपए;

(ख) व्यवहारी अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस - 5,000/-रुपए है;"

(3) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण- (1) नीलामकर्ता या व्यवहारी के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति अपने आवेदन को बोर्ड को क्रमश: प्ररूप 1 या प्ररूप क 1 में उस वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें अनुज्ञप्ति की वैधता का अवसान होता है, प्रस्तुत करेगा:

परंतु बोर्ड नवीकरण के लिए किसी आवेदन को अनुज्ञप्ति की वैधता के अवसान की तारीख तक ई-नीलामकर्ता की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विलंब के लिए 2500/- रुपए की अतिरिक्त फीस और मैन्युअल नीलामकर्ता या व्यवहारी की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विलंब के लिए में 250/- रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर स्वीकार कर सकेगा । ";

(2) बोर्ड का यदि आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो वह यथास्थिति प्ररूप ख या प्ररूप ख 1 या प्ररूप ख 3 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण करेगा

(3) ई-नीलामी के लिए किसी अनुज्ञप्ति का तीन उत्तरवर्ती खंड अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि नीलामकर्ता एक वर्ष की लगातार की अवधि के लिए किसी कारबार का संव्यवहार करने में असफल रहता है या नियम 10 के उप नियम (1) के खंड (ट) के प्ररूप ग में रखे गए नीलाम रजिस्टर का सार विनिर्दिष्ट अवधि में, प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।

(4) अनुज्ञप्ति का नवीकरण तीन वर्ष की उत्तरवर्ती खंड अवधि के लिए नहीं किया जाएगा यदि व्यवहारी किसी कारबार का संव्यवहार करने में असफल रहता है या वैध अनुज्ञप्ति धारण करने की अवधि के दौरान शून्य रिटर्न प्रस्तुत करता है

4. नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10. अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें-

(1) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगी:-

(क) ई-नीलामी के लिए आवेदक किसी बैंक गारंटी के माध्यम से उस खंड अवधि के लिए जिसके लिए आवेदक नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की वांछा रखता है एक प्रतिभूति जमा (तीन वर्ष की तुरंत पूर्ववर्ती खंड अवधि के दौरान एक नीलामी में इलायची के औसत नीलाम मूल्य के बराबर) उपलब्ध कराएगा;

(ख) बोर्ड की सामान्य सुविधा का उपयोग करते हुए ई-नीलामी संचालित करने के लिए, कोई नीलामकर्ता किसी नीलामी में बिक्री की गई इलायची के प्रति टन के लिए 300 रुपए की उपयोगकर्ता फीस धन यथा लागू सेवा कर का संदाय करेगा । उपयोगकर्ता फीस में प्रत्येक उत्तरवर्ती खंड अवधि के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिसे नजदीकतम दस रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ;

IndiaCode

(ग) मैन्युअल नीलामी के लिए बैंक गारंटी लागू नहीं होगी ;

(घ) किसी राज्य में जहां बोर्ड ने सामान्य ई-नीलामी केन्द्र स्थापित किए हैं मैन्युअल नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी ;

(ङ) नीलामकर्ता उगाने वालों को जिनकी इलायची को पूलित किया गया है नीलामी की तारीख से दस दिन के भीतर किसी नीलामी में बिक्री की गई इलायची का लागू विक्रय मूल्य का संदाय करेगा । यदि नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो बोर्ड तुरंत नीलामकर्ता उगाने वालों को संदेय रकम का व्यवस्थापन करने के लिए तुरंत बैंक गारंटी का अवलंब लेगा और अनुज्ञप्ति के निलंबन और /या रद्द करने के लिए कदम उठाएगा ;

(च) नीलामकर्ता आवश्यक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिसके अंतर्गत कृषकों को सुविधाजनक स्थानों पर इलायची को पूलित करने के लिए इलेक्ट्रानिक भार तोलने की मशीनें और नमी मापी हैं ;

(छ) नीलामकर्ता, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान और दिन तथा समय पर नीलामी का संचालन करेगा ;

(ज) नीलामकर्ता पूलित करने के लिए प्रस्ताव की गई इलायची के प्रत्येक लॉट (कृषक द्वारा नीलामी के लिए पूलित की गई यथा वांछित इलायची की मात्रा) में से एक हजार पांच सौ ग्राम इलायची निकालेगा और निकाले गए नमूने की मात्रा को उस व्यक्ति को जिसकी इलायची को पूलित किया गया है को जारी फसल पर्ची में अभिलिखित किया जाएगा । लिए गए नमूने में से सौ ग्राम को क्रय कर्ता के नमूने के रूप में अलग रखा जाएगा और पचास ग्राम को नीलामी केन्द्र में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा । शेष बचे हुए एक हजार तीन सौ पचास ग्राम का उपयोग नीलामकर्ता द्वारा उक्त लॉट की बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान नमूनों के रूप में वितरित करने के लिए किया जाएगा । नीलामी लगाने वाला लिए गए नमूनें को इलायची उगाने वाले को एक हजार तीन सौ पचास ग्राम के मूल्य का प्रतिदाय करेगा । तत्पश्चात् नीलामकर्ता द्वारा उस व्यक्ति को जिसने इलाचयी को पूलित किया है, संदेय कुल रकम नमूने के प्रतिदाय के मूल्य का योग और वह मूल्य जिस पर लॉट की एक प्रतिशत पात्र कटौती करने के पश्चात् विक्रय किया गया है होगा । बर्बादी, भार में कमी और पूर्त के नाम पर किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों की कटौती नहीं की जाएगी ;

(झ) नीलामकर्ता उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक को कमीशन के रूप में प्रभारित नहीं करेगा ;

(ञ) नीलामकर्ता स्वयं के लिए या क्रय कर्ता की ओर से उसको देय एक प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त किसी छूट या नकद या किसी वस्तु को न तो लेगा न ही स्वीकार करेगा । नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वामी /विक्रेता को नीलामी में विक्रय की गई इलायची की संपूर्ण मात्रा का मूल्य प्राप्त होता है ;

(ट) नीलामकर्ता प्ररूप ग में एक रजिस्टर रखेगा और उसकी एक प्रति बोर्ड को नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा ;

(ठ) नीलामीकर्ता नीलामी की एक अग्रिम रिपोर्ट भी नीलामी के अगले दिन प्ररूप घ में अग्रेषित करेगा ;

(ड) प्रत्येक नीलामकर्ता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसके द्वारा इलायची नीलामकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा ;

(ढ) नीलामकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को उसके कारबार के अंतरण पर बोर्ड को उससे संसूचित करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा और अंतरिती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक नई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा ;

(ण) अनुज्ञप्तिधारी नीलामकर्ता की मृत्यु पर, उसे जारी की गई मूल अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी । तथापि विधिक उत्तराधिकारी और एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारियों के होने पर मृतक का अन्य द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक विधिक उत्तराधिकारी बोर्ड को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा ;

(त) नीलामकर्ता प्रत्येक नीलामी की बाबत नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर बोली लगाने वालों से संदाय की भुगतान की वसूली करेगा और उगाने वालों के बकाया का नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर भुगतान करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड के समाधानप्रद रूप में बिना किसी कारण के उगाने वालों के बकाया का भुगतान अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन होगा । उगाने वालों को और व्यापरियों से बकाया के संबंध में सूचना और उनके संबंधित व्यवस्थापन को प्रत्येक नीलामी की बावत मासिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा । नीलामकर्ता उगाने वालों को देय अदावाकृत रकम को बैंक में एक पृथक् खाते में रखेंगे तथा उसके ब्यौरों से प्रत्येक नीलामी की बावत मासिक आधार पर बोर्ड को संसूचित किया जाएगा ।

(थ) नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी नीलामी में पूलित इलायची किसी मिलावट, संदूषण और कृत्रिम रंजकता से मुक्त है ।

(2) व्यवहारी अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें नीचे दिए अनुसार हैं:-

(क) अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी इलायची केवल रजिस्ट्रीकृत ऐस्टेट स्वामियों/उगाने वालों या अनुज्ञप्तिधारी नीलामकर्ताओं से क्रय करेगा;

(ख) व्यवहारी इलायची उत्पादनकर्ताओं या नीलामकर्ताओं से चाहे छूट या कमीशन के माध्यम से नकद में किसी रकम या वस्तु का आग्रह नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा ;

(ग) प्रत्येक व्यवहारी प्ररूप ड. में एक रजिस्टर रखेगा ;

(घ) प्रत्येक व्यवहारी प्ररूप च में एक मासिक रिटर्न भेजेगा जिससे वह बोर्ड के पास पश्चातवर्ती मास की दस तारीख को या उससे पूर्व पहुंच जाए ;

(ड.) व्यवहारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके कारबार के अंतरण पर वह उससे बोर्ड को संसूचित करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा तथा अंतरिती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नवीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा ;

(च) अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी की मृत्यु पर, उसे जारी की गई मूल अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी । तथापि विधिक उत्तराधिकारी और एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारियों के होने पर मृतक का अन्य द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक विधिक उत्तराधिकारी बोर्ड को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा ;

(छ) प्रत्येक व्यवहारी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसके द्वारा इलायची व्यवहारी के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा ;

(ज) व्यवहारी, नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर प्रत्येक नीलामी की बाबत क्रय की गई इलायची के मूल्य का नीलामकर्ताओं को संदाय करेगा । विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रय मूल्य का भुगतान न करने को अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा ।

(5) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

फर्म के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नाम निर्दिष्ट अधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

"प्ररूप क

[देखें नियम 4(1) और नियम 5(1)]

(नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन)

1 व्यक्ति/फर्म का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

भवन सं.										

भवन का नाम										

गली										

नगर				पिन						

राज्य										

टेलीफोन										

मोबाइल										

फैक्स										

ई-मेल										

IndiaCode

3. प्रास्थिति (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगांए)

संपातिकता		प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
हिंदू संयुक्त कुटुंब		पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
भागीदारी		पब्लिक सेक्टर (केन्द्रीय सरकार)	
सहकारी सोसाइटी		पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)	
अन्य		विनिर्दिष्ट करें	

*जो लागू न हो उसे काट दें

4. संपातिक/भागीदार/निदेशकों का पूरा नाम और स्थायी पता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीटें संलग्न करें)

भवन सं.										

भवन का नाम										

गली										

नगर				पिन						

राज्य										

टेलीफोन										

मोबाइल										

फैक्स										

ई-मेल										

6. स्थायी लेखा संख्या (पैन)										

(क) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
(स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

साधारण विक्रय कर										
जारी करने की तारीख										
जारी करने का स्थान										
केन्द्रीय विक्रय कर										
जारी करने की तारीख										
जारी करने का स्थान										

IndiaCode

(ख) उपदर्शित करें कि क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या नई अनुज्ञप्ति के लिए (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)		नवीकरण	नई	

(ग) यदि नवीकरण के लिए है तो अनुज्ञप्ति संख्या उपदर्शित करें								

जारी करने की तारीख								

नीलाम का स्थान	
नीलाम का दिन	
नीलाम का समय	

(घ) केवल तभी उत्तर दें जब आवेदन नवीकरण के लिए है
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नीलाम की गई इलायची की मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)

(ड.) कृपया श्रेणी उपदर्शित करें (जो लागू हो सही का निशान लगाएं)

क	ख	ग

(क-10 करोड़ रुपए से अधिक का औसत कारबार ख-1-10 करोड़ रुपए का औसत कारबार, ग- 1 करोड़ रुपए से कम का कारबार)

(च) जमा की गई फीस के ब्यौरे								
रकम								रुपए

(छ) संदाय का ढंग	नकद	मांगदेय पत्र

(ज) मांगदेय पत्र संख्या									तारीख						

बैंक का नाम	

(झ) यदि नई नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए है तो उपदर्शित करें

(क) नीलाम का स्थान							
नीलाम का दिन							
नीलाम का समय							
आवर्ती							

(ञ) नीलाम के प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध अवसंरचना (कृपया उपयुक्त पर सही का निशान लगाएं)

गोदाम	हां	नहीं

यदि हां तो, गोदाम की अवस्थिति, पता और क्षमता
नीलाम हॉल
नीलाम हॉल का क्षेत्र
ग्रेडिंग सुविधा
भार तोलने की मशीन
लॉट नमूना प्रदर्शन बोर्ड
टेबल/कुर्सियां
नीलामी ब्योरे प्रदर्शन बोर्ड
कंप्यूटर सुविधाएं
भंडारण के लिए कुल फर्श क्षेत्र
परिवहन सुविधा
यानों के लिए पार्किंग सुविधा
गोदाम के लिए यानों के आवागमन के लिए सड़क की सुविधा
फर्श सतह-सीमेंट, टाइलें आदि
पैकिंग सुविधा

IndiaCode

पैलेट सुविधा
सीविंग सुविधा
प्रकश सुविधा

(ट) उपलब्ध कार्यशील पूंजी								

(ठ) पूंजी ढांचा								

प्राधिकृत पूंजी								रुपए

संदत्त पूंजी								रुपए

घोषणा

मैं/हम---------- घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैं/हम इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का और कारबार के संचालन के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा दिए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन करेंगे

स्थान:..... तारीख:.....	हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम.....

टिप्पण: ऐसे आवेदन जिनके साथ विहित संलग्न नहीं है पर विचार नहीं किया जाएगा

IndiaCode

फर्म के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नाम निर्दिष्ट अधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

"प्ररूप क-1

[देखें नियम 4(1) और नियम 5(4)]

(व्यवहारी के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन)

1 व्यक्ति/फर्म का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

भवन सं.										
भवन का नाम										
गली										
नगर				पिन						
राज्य										
टेलीफोन										
मोबाइल										
फैक्स										
ई-मेल										

IndiaCode

3. प्रास्थिति (जो लागू हो उसे टिक करें

संपातिकता		प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
हिंदू संयुक्त कुटुंब		पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
भागीदारी		पब्लिक सेक्टर (केन्द्रीय सरकार)	
सहकारी सोसाइटी		पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)	
अन्य		विनिर्दिष्ट करें	

*जो लागू न हो उसे काट दें

4. आवेदन की गई अनुज्ञप्ती का प्रकार	नई	नवीकरण

नाम										
भवन सं.										
भवन का नाम										

गली										

नगर				पिन						

राज्य										

टेलीफोन										

मोबाइल										

फैक्स										

ई-मेल										

6. स्थायी लेखा संख्या (पैन)										

(क) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
(स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

साधारण विक्रय कर										

जारी करने की तारीख										

जारी करने का स्थान										

केन्द्रीय विक्रय कर										

जारी करने की तारीख										

जारी करने का स्थान										

(ख) उपदर्शित करें कि क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या नई अनुज्ञप्ति के लिए (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

नवीकरण	नई

(ग) यदि नवीकरण के लिए है तो अनुज्ञप्ति संख्या उपदर्शित करें								

IndiaCode

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रय और विक्रय की गई इलायची की मात्रा और मूल्य								

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)

(ङ.) जमा की गई फीस के ब्यौरे	

रकम								रुपए

(च) संदाय का ढंग	नकद	मांगदेय पत्र

(छ) मांगदेय पत्र संख्या									तारीख						

बैंक का नाम	

(ज) इलायची क्रय करने का स्रोत (जो लागू हो उस पर कृपया सही का निशान लगाएं)

नीलामकर्ता	उगाने वाला	व्यवहारी

(झ) भंडारण सुविधाएं
गोदाम का पत्ता

(ञ) गोदाम की क्षमता								

घोषणा

मैं/हम---------- घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैं /हम इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का और कारबार के संचालन के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा दिए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन करेंगे

स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर नाम पदनाम

टिप्पण: ऐसे आवेदन जिनके साथ विहित संलग्न नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा

6. प्ररूप ख और प्ररूप ख-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

IndiaCode

प्ररूप- ख

[देखें नियम 4(3)]

नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति (मैन्युअल)

अहस्तांतरणीय

अनुज्ञप्ति संख्या

श्रीमती/श्री/मैसर्स----------को इलायची का नीलामकर्ता के रूप में ---------- इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है

ये अनुज्ञप्ति 31 अगस्त----------तक वैध है

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप- ख-1

[देखें नियम 4(3)]

नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति (ई-नीलाम)

अहस्तांतरणीय

अनुज्ञप्ति संख्या

श्रीमती/श्री/मैसर्स----------को इलायची का नीलामकर्ता के रूप में ---------- इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है

IndiaCode

ये अनुज्ञप्ति 31 अगस्त----------तक वैध है

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप- ख-3

[देखें नियम 4(3)]

व्यवहारी के रूप में अनुज्ञप्ति

अहस्तांतरणीय

अनुज्ञप्ति संख्या

श्रीमती/श्री/मैसर्स----------को इलायची का नीलामकर्ता के रूप में ---------- इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ये अनुज्ञप्ति 31 अगस्त----------तक वैध है

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ग

[देखें नियम 5(2) और 10(1) (ट)]

नीलाम रिपोर्ट

[(1) उगाने वाले (2) व्यवहारी से प्राप्त इलायची की नीलामी के लिए पृथक् रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए]

मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति संख्या:	सत्र	अधिकतम मूल्य: रुपए

न्यूनतम मूल्य: रुपए
औसत मूल्य: रुपए

क्रम सं.	उगाने वाले/व्यवहारी का नाम और पूरा पता	एस्टेट रजिस्ट्रीकरण संख्या/बोर्ड अनुज्ञप्ति संख्या	नीलाम किए जाने के लिए रखी गई मात्रा (किलोग्राम में)	बिक्री की गई मात्रा (किलोग्राम में)	दर (रुपए/किलोग्राम)	मूल्य (रुपए में)	कमीशन (रुपए)	बोली लगाने वाले का नाम और पूरा पता	मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने नियमों द्वारा नीलामी में विक्रय की गई इलायची के स्वामियों से अनुज्ञात 1 प्रतिशत कमीशन से भिन्न कोई छूट या कमीशन स्वीकार की गई है या प्राप्त की गई है और न ही मैंने /हमने क्रय कर्ताओं को कोई इलायची या कमीशन दी है ।

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-घ

[देखें नियम 10(1) (1)]

अग्रिम नीलाम रिपोर्ट

नीलामकर्ता का नाम और पता	:	
मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति संख्या	:	
सत्र	:	
नीलाम संख्या	:	
नीलाम की तारीख	:	
नीलाम का स्थान	:	
पूर्ववर्ती नीलाम से अग्रणीत की गई मात्रा (किलोग्राम में)	:	
नई आवक (किलोग्राम में)	:	
नीलाम किए जाने के लिए रखी गई कुल मात्रा (किलोग्राम में) (क्रम संख्या 5 और 6 का योग)	:	
बिक्री की गई कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
वापस ली गई मात्रा (किलोग्राम में) (क्रम संख्या (7)-(8)	:	
उगाने वालों को वापस की गई मात्रा (किलोग्राम में)	:	
नीलामकर्ता के पास शेष (किलोग्राम में) (क्रम संख्या (9)-(10)	:	
बिक्री का कुल मूल्य (रुपए)	:	
अधिकतम मूल्य (रुपए/किलोग्राम)	:	
न्यूनतम मूल्य (रुपए/किलोग्राम)	:	
औसत मूल्य	:	

IndiaCode

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ङ

[देखें नियम 10(2) (ग)]

(अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाला रजिस्टर का प्ररूप)

व्यवहारी का नाम और पता अनुज्ञप्ती संख्या	मास

क्रय

क्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे क्रय किया गया है	उन व्यक्तियों की श्रेणी जिनसे क्रय किए गए हैं (अर्थात् उगाने वाला /नीलामकर्ता)
1	2	3
एस्टेट की रजिस्ट्रीकरण संख्या/नीलामकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य (रुपए)
4	5	6

आंतरिक विक्रय

विक्रय की तारीख	उन व्यक्तियों का नाम और पता जिनको इलायची का विक्रय किया गया है	उन व्यक्तियों की श्रेणी जिनको इलायची का विक्रय किया गया है (अर्थात् निर्यातक/उपभोक्ता, अन्य)
1	2	3

निर्यातक*

मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (किलोग्राम में)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) (मूल्य)
4	5	6	7

* केवल उन व्यवहारियों को लागू जिनके पास निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र है

प्ररूप-च

[देखें नियम 10(2) (घ)]

(अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी द्वारा बोर्ड को भेजा जाने वाला मासिक विवरण)

व्यवहारी का नाम और पता

मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति संख्या

क्रय			आंतरिक बिक्री			निर्यात (*)	
जिनसे क्रय किया गया	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपए)	जिसको विक्रय किया गया	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (किलोग्राम में)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) (मूल्य)
1 उगाने वाले			1 निर्यातक				
2 व्यवहारी			2 व्यवहारी				
3 नीलामकर्ता			3 उपभोक्ता				
4 अन्य			4 अन्य				
योग			योग			योग	

IndiaCode

1. पिछले मास से अग्रणीत लाया गया स्टाक (किलोग्राम में)	:	
2. मास के दौरान क्रय की गई कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
3. मास के दौरान आंतरिक बिकी की कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
4. मास के दौरान निर्यात की गई कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
5. मास के अंत में इतिशेष स्टाक (किलोग्राम में)	:	

* केवल उन व्यवहारियों को लागू जिनके पास निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र है ।

मैं/ हम पुष्टि करते हैं कि मैंने /हमने इलायची के किसी उत्पादनकर्ता से प्रत्यक्षत: या किसी नीलामकर्ता के माध्यम से कोई कमीशन या छूट प्राप्त नहीं की है ।

स्थान तारीख	(व्यवहारी के हस्ताक्षर)"

[फा.सं. 1/1/2014–ईपी (एग्री 5/बागान–घ)]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 116(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन सं. सा.का.नि. 645(अ), तारीख 13 सितंबर, 2002 और सं. सा.का.नि. 312(अ), तारीख 25 मई, 2006 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2014

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend in the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, -

(1) in rule 2, -

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :-

"(aa) 'auction' means a system of conducting sale of cardamom through the platform provided and approved by the Spices Board and includes manual auction, e-auction and online auction; " ;

(b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :-

"(e) 'person' means an individual or a firm, company, multi-State co-operative societies registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) or a charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) . " ;

(2) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :-

"4. Licensing of persons to carry on business of cardamom. - (1) Any person desiring to carry on business as auctioneer or dealer in any year may apply in Form A (Auctioneer) or A1 (Dealer) to the Board for a licence:

Provided that separate applications shall be necessary where a person desires to be licensed in more than one capacity:

Provided further that separate licence shall be necessary for an auctioneer in respect of manual auction for each centre if he desires to conduct auctions in more than one centre.

(2) Every application for licence as auctioneer or dealer shall be accompanied by a receipt of fee as specified in sub-rule (6) for a block period of three years or part thereof, starting from 1st September, 2014. For subsequent block period from 1st September, 2017, there shall be an increase of twenty-five per cent over and above the fee applicable for the previous block period for fresh licence and renewal of licence. The licence fee shall be rounded off to the nearest Rs.100/- wherever applicable. The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Secretary, Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi.

(3) The Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant as per sub-rules (4) and (5) as applicable, issue licence in Form-B Form-B1 or Form-B3 as the case may be.

(4) Every applicant for auctioneer licence shall have sufficient storage or godown or collection depots facility to store the cardamom pooled and the facility for cleaning and grading of cardamom.

(5) Every applicant for dealer licence shall have sufficient storage or godown facility to store the cardamom.

(6) Every application for issue of fresh licence or renewal of licence shall be accompanied by fee as under:-

(a) The fee payable for auctioneer licence is -

(i) manual auction – Rs. 5,000/- ;

(ii) e-auction – Rs. 50,000 /- ;

(b) the fee payable for dealer licence is Rs. 5,000/- ;

(3) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

"5. Renewal of licence. – (1) Any person desiring to renew his licence as auctioneer or dealer may submit his application to the Board in Form A or A1 respectively, on or before 30th June of the year in which the validity of the licence expires.

Provided that the Board may entertain an application for renewal of licence upto the date of expiry of validity of licence on payment of an additional fee of Rs. 2500/- for the delay of every month or part thereof in case of e-auctioneer and an additional fee of Rs. 250/- for delay of every month or part thereof in case of manual auctioneer or dealer.";

(2) The Board, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, renew the licence in Form B or B1 or B3 as the case may be:

(3) The licence for e-auction shall not be renewed for succeeding block period of three years, if the auctioneer fails to transact any business for a continuous period of one year or fails to submit the extract of auction register maintained in Form C within the period specified in clause (K) of sub-rule (1) of rule 10.

(4) The licence shall not be renewed for succeeding block period of three years, if the dealer fails to transact any business or submit a NIL return during the period of holding a valid licence.

(4) after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :-

"10. Terms and conditions for issue or renewal of licences.-

(1) The terms and conditions for issue or renewal of auctioneer licence shall be as under :-

(a) for e-auction, the applicant shall provide a security deposit in the form of a Bank Guarantee (equivalent to the average auction sale value of cardamom in one auction during the immediate preceding block period of three years) for the block period for which the applicant desires to obtain the auctioneer licence;

(b) for conducting e-auction using the Board's common facility, an auctioneer shall pay a user fee of Rs. 300/- per ton of cardamom sold in an auction plus service tax as applicable. The user fee shall be increased by twenty-five per cent rounded to the nearest Rs.10/- for every succeeding block period;

(c) Bank Guarantee shall not be applicable for manual auction;

(d) manual auctioneer licence shall not be issued in a State where the Board has established common e-auction centres;

(e) the auctioneer shall pay the growers whose cardamom is pooled, the applicable sale value of the cardamom sold in an auction within ten days from the date of the auction. If the auctioneer defaults to make payment as per the terms and conditions of the licence, the Board shall invoke the Bank Guarantee of the auctioneer forthwith for arranging settlement of amount due to growers and take steps for suspension and/or cancellation of the licence;

(f) the auctioneer shall provide necessary storage facilities including electronic weighing machine and moisture meters for pooling the cardamom in places convenient to the farmers.

(g) the auctioneer shall conduct the auction at a place and on a day and time specified by the Board;

(h) the auctioneer shall draw one thousand five hundred grams out of each lot (the quantity of cardamom pooled for auction as desired by the farmer), of cardamom offered for pooling and the quantity of sample drawn shall be recorded in the crop slip issued to the person whose cardamom is pooled. Out of the sample drawn, one hundred grams shall be set aside as purchaser sample and fifty grams shall be put on display at the auction centre. The remaining one thousand three hundred fifty grams shall be used by the auctioneer for distributing as samples during the bidding process of the said lot. The auctioneer shall refund the value of one thousand three hundred fifty grams of cardamom to the growers from the sample drawn. Thereafter, the total amount payable by the auctioneer to the person who pooled the cardamom shall be the sum of the sample refund value and the value for which the lot has been sold in an auction after deducting the eligible one per cent commission on the total amount. No additional charges shall be deducted in the name of wastage, weight loss and charity;

(i) the auctioneer shall not charge more than one per cent of the sale price as commission for the services rendered by him;

(j) the auctioneer shall not take or accept for himself or on behalf of the purchaser any discount or payment in cash or in kind other than the one per cent. commission due to him. The auctioneer shall ensure that the owner/seller gets value for the entire quantity of cardamom sold in the auction;

(k) the auctioneer shall maintain a register in Form 'C' and forward a copy of the same to the Board within seven days from the date of auction;

(l) the auctioneer shall also forward an advance report of the auction on the next day of auction in Form D;

(m) every auctioneer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom auctioneer;

(n) on transfer of his business to another person, the auctioneer shall intimate the same to the Board and surrender his licence and the transferee shall obtain a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(o) on the death of a licensed auctioneer, the original licence issued to him shall terminate. However, the legal heirs and if there are more than one legal heir of the deceased, any one of them nominated by the others, may apply to the Board for the issue of a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(p) the auctioneer shall in respect of each auction recover payment due from bidders within seven days from the date of the auction and clear the dues to the growers within ten days from the date of auction and non-payment of dues to growers within the period so specified without any reason to the satisfaction of the Board shall be a violation of the conditions of licence. The information regarding dues to growers and from traders and their respective settlement shall be furnished to the Board in respect of each auction on a monthly basis. The auctioneers shall keep any unclaimed amount due to the growers in a separate account in the Bank and details thereof shall be intimated to the Board in respect of each auction on a monthly basis;

(q) the auctioneer shall ensure that the cardamom pooled in an auction is free from any adulteration, contamination and artificial colouring.

(2) The terms and conditions for issue or renewal of dealer licence shall be as under :-

(a) The licensed dealer shall purchase cardamom only from registered estate owners/growers or licensed auctioneers;

(b) dealer shall not solicit or accept any amount in cash or in kind from cardamom producers or auctioneers, whether by way of discount or commission;

(c) every dealer shall maintain a register in Form E;

(d) every dealer shall send a monthly return in Form F so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month;

(e) on transfer of his business to another person, the dealer shall intimate the same to the Board and surrender his licence and the transferee shall obtain a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(f) on the death of a licensed dealer, the original licence issued to him shall terminate. However, the legal heirs and if there are more than one legal heir of the deceased, any one of them nominated by the others, may apply to the Board for the issue of a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(g) every dealer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom dealer;

(h) the dealers shall pay the auctioneers the value of the cardamom purchased in respect of an auction within seven days from the date of auction. Non-payment of the purchase value within the specified period shall be treated as a violation of the conditions of license.";

(5) for FORM-A, the following forms shall be substituted, namely:-

Affix passport size photograph of Chief Executive Officer or the designated officer of the firm

"FORM-A

[See rules 4(1) and 5(1)]

(Application for issue/renewal of licence as auctioneer)

(1) Name of the Person/Firm (in block letters)

2. Address of principal / registered office

Building No.

Building Name

Street

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

3. Status
(Please tick where appropriate)

- ☐ Proprietorship
- ☐ Hindu Joint Family
- ☐ Partnership
- ☐ Co-operative Society
- ☐ Others Specify

- ☐ Private Limited Company
- ☐ Public Limited Company
- ☐ Public Sector (Central Government)
- ☐ Public Sector (State Government)

*Strike out whichever is not applicable

4. Full name and permanent address of the proprietor/partners/directors (Attach additional sheets wherever required)

Name

Building No.

Building Name

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

IndiaCode

6. Permanent Account Number (PAN) | | | | | | | | | | | | |

(a) Sales Tax Registration
(Attach self-attested copy)

General Sales Tax	
Date of issue	
Place of issue	
Central Sales Tax	
Date of issue	
Place of Issue	

(b) Indicate whether the application is for renewal of the existing licence or for a new licence (Please tick where appropriate) ☐ Renewal ☐ New

(c) If for renewal, indicate
Licence Number | | | | | | | | | | | | | |
Date of Issue | | | | | | | | |

IndiaCode

Place of auction ----------
Day of auction ----------
Time of auction ----------

(d) Answer only if the application is for renewal

Quantity and value of cardamom auctioned during the preceding year

Year	Quantity (MT)	Value (in Lakhs)

(e) Indicate Category (Please tick where appropriate)

A ☐ B ☐ C ☐
(A - average turn over above Rs.10 crore B- average turn over Rs. 1- 10 crore, C- average turnover less than Rs.1 crore)

(f) Details of fee remitted
Amount Rs. | | | | | | |

(g) Mode of payment ☐ Cash ☐ Demand Draft

(h) Demand Draft No. | | | | | | | | | Date | | | | | | |

Name of the Bank | | | | | | | | |

(5) If for new auctioneer licence, indicate :

(a) Place of auction

Day of auction

Time of auction

Frequency

j Infrastructure available at the proposed place of auction (Please tick where appropriate)

Godown ☐ Yes ☐ No

If so, location, address and capacity of the godown

Auction hall

Area of auction hall

Grading facility

Weighing machine

Lot sample display board

Tables/Chairs

Auction details display board

Computer facilities

Total floor area for storage

Transportation facility

Parking facility for vehicles

Road facility for movement of vehicles to the godown

Floor surface – cement, tiles, etc.

Packing facility

Pallets facility

Sieving facility

Lighting facility

(k) Working capital available Rs.

(l) Capital structure

Authorised capital Rs.

Paid up capital Rs.

IndiaCode

DECLARATION

I/Wedeclare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/We shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, and any instructions given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place: Signature

Date: Name

Designation

Note: Application not accompanied with prescribed shall not be entertained.

Affix passport size photograph of Chief Executive Officer or the designated officer of the firm

FORM-A1

[See rules 4(1) and 5(4)]

(Application for issue/ renewal of licence as dealer)

IndiaCode

(6) Name of the Person/Firm (in block letters)

2. Address of principal / registered office

Building Nunmer

Building Name

Street

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

3. Status (Please tick where appropriate)

Proprietorship ☐	Private Limited Company ☐
Hindu Joint Family ☐	Public Limited Company ☐
Partnership ☐	Public Sector (Central Government) ☐
Co-operative Society ☐	Public Sector (State Government) ☐
Others ☐	specify ☐

4. Type of licence applied for Dealership (Please tick where appropriate) New / Renewal

5. Full name and permanent address of the Proprietor/partners/directors (Attach additional sheets wherever required)

Name

Building Number

Building name

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

6. Permanent Account Number (PAN)

a) Sales tax registration (Attach self attested copy)

General Sales Tax

Date of issue

Place of issue

Central Sales Tax

Date of issue

Place of issue

IndiaCode

(b) Indicate whether the application is for renewal of the existing licence or for a new licence (Please tick where appropriate) ☐ Renewal ☐ New

(c) If for renewal, indicate

licence number

Date of issue

(d) Quantity and value of cardamom purchased and sold during the last three years

Year	Quantity (MT)	Value (in Lakhs)

(e) Details of fee remitted

Amount Rs.

(f) Mode of payment ☐ Cash ☐ Demand Draft

(g) Demand Draft No. Date

Bank

(h) Source of purchase of cardamom (Please tick where appropriate)

☐ Auctioneer ☐ Grower ☐ Dealer

i) Storage facilities

Address of godown

PIN

(j) Capacity of godown (MT)

DECLARATION

I/We..... declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/We shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, and any instructions given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place: Signature

Date: Name
Designation

Note: Application not accompanied with prescribed fee shall not be entertained." ;

6) for FORM-B and FORM-B1, the following forms shall be substituted, namely :-

IndiaCode

FORM–B

[See rule 4 (3)]

Licence as auctioneer (Manual)

(Not transferable)

Licence No.....

Smt/Shri/Messers is / are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at subject to the terms and conditions specified in the rules.

The licence is valid upto the 31st day of August

Place:

Date:

Signature of authorised officer

FORM–B1

[See rule 4(3)]

Licence as auctioneer (e-auction)

(Not transferable)

Licence No.....

Smt/Shri/Messers is / are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at subject to the terms and conditions specified in the rules.

The licence is valid upto the 31st day of August

Place:

Date:

Signature of authorised officer

FORM–B3

[See rule 4 (3)]

Licence as dealer

(Not transferable)

Licence No.....

Smt/Shri/Messers is / are hereby authorised to purchase cardamom in auction/purchase cardamom directly from growers subject to the terms and conditions specified in the rules.

The licence is valid upto the 31st day of August

Place:

Date:

Signature of authorised officer " ;

7) for FORM-C, FORM-D, FORM-E and FORM-Ff, the following forms shall be substituted, namely :-

FORM-C

[See rules 5(2) and 10(1) (k)]

(Auction Report)

[Separate report should be furnished for auctioning of cardamom received from (1) Planter (2) Dealer]

Spices Board licence number: Season: Maximum Price : Rs.

Auction No.: Minimum Price : Rs.

Date of auction : Average Price : Rs.

Sl. No.	Name and full address of the planter/ dealer	Estate Registration Number/ Board licence number	Qty. put for auction (kg)	Qty. sold (kgs)	Rate (Rs./kg)	Value (Rs.)	Commission (Rs.)	Name and full address of bidder	Spices Board licence number	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We confirm that no discount or commission other than the one per cent commission permitted to me/us by the rules has been accepted by me/us or received from the owners of cardamom sold in the auction and nor have I/We passed on any cardamom nor commission to the purchasers.

Signature of the auctioneer

Place:
Date :

FORM – D
[See rule 10(1)(l)]

(Advance Auction Report)

Name and address of the auctioneer:

Spices Board's licence number:

(s) Season :

(t) Auction number :

(u) Date of auction :

(v) Place of auction:

(w) Quantity carried over from previous auction (kgs.):

(x) Fresh arrivals (kgs.):

(y) Total quantity put for auction (kgs.) [Total of Sl.No. 5 and 6]:

(z) Total quantity sold (kgs.):

(aa) Quantity withdrawn [(kgs.) (Sl.No.(7) – (8)] :

IndiaCode

(bb) Quantity returned to planters (kgs):

(cc) Balance with the auctioneer (kgs) [(Sl.No.(9) – (10)] :

(dd) Total value of the sales (Rs.) :

(ee) Maximum price (Rs./kg) :

(ff) Minimum price (Rs./kg) :

(gg) Average price (Rs./kg):

Signature of the auctioneer

Place:
Date:

FORM-E
[See rule 10(2)(c)]

(Form of the Register to be maintained by licensed dealer)

Name and address of the dealer:

Licence number:. Month:

PURCHASES

Date of purchase	Name and address of the person from whom purchase is made	Category of the person from whom purchase is made (viz. planter/auctioneer)
1	2	3
Registration number of the estate/licence number of auctioneer	Quantity (kgs)	Value (Rs.)
4	5	6

INTERNAL SALES

Date of sale	Name and address of the person to whom cardamom is sold	Category of person to whom cardamom is sold (viz. exporters/consumers, others)
1	2	3

EXPORTS*

Quantity (kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	Free on Board (FOB) (Value)
4	5	6	7

*Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

FORM-F

[See rule 10(2)(d)]
(Monthly statement to be sent to the Board by licensed dealer)

Name and address of the dealer:

Spices Board's licence number:

Purchases			**Internal sales**			**Export (*)**	
Purchases from	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Sold to	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	FOB Value (Rs.)
1. Planters			1. Exporters				
2. Dealers			2. Dealers				
3. Auctioneers			3.Consumers				
4. Others			4. Others				
Total			Total			Total	

1. Carry over stock from last month (Kgs.) :
2. Total quantity purchased during the month(Kgs.) :
3. Total quantity of internal sales during the month(Kgs.) :
4. Total quantity exported during the month(Kgs.) :
5. Closing stock at the end of the month(Kgs.) :

*Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

I/We confirm that I/We have not accepted any commission or discount from any producer of cardamom directly or through the auctioneer.

Place :
Date :

(Signature of the dealer) ".

[F. No.1/1/2014-EP(Agri-5)/Plant D]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 116(E), dated the 26th February, 1987 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 645(E), dated the 13th September, 2002, and G.S.R. 312(E), dated the 25th May, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.